अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 (यथासंशोधित) के प्राविधानों एवं आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के आदेश सं0 335/पी0ए0–2018 दिनांक 17.01.2018 के क्रम में ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/तेहरवां वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से 20 निर्माण कार्यो की ई–निविदाएं जिला पंचायत, मेरठ द्वारा दिनांक 06.07.2018 की सांय 4.00 बजे तक निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती हैं, जिन्हें निविदा समिति द्वारा दिनांक 09.07.2018 को दोपहर 1.00 बजे कार्यालय समय में इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदाओं का विस्तृत विवरण जनपद की वेबसाईट (http:meerut.nic.in) पर दिनांक 28.06.2018 को प्रातः 11.00 बजे से एवं कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है जो ई–पोर्टल (www.etender.up.nic.in) पर उपलब्ध होंगी और दिनांक 29.06.2018 से दिनांक 06.07.2018 की सांय 4.00 बजे तक अभिलेख अपलोड एवं निविदा बिड डाली जा सकेंगी और प्रत्येक निविदा के साथ 2 प्रतिशत जमानत राशि की एफ0डी0आर0 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ के पदनाम से बंधक, संलग्न करना अनिवार्य है। टैन्डर मूल्य जी0एस0टी0 सहित जिला पंचायत की जिलानिधि के सिडिंकेट बैंक कचहरी शाखा मेरठ के खाता सं0 **88372200058745** में जमा कर सकते है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की योजना शासन से स्वीकृति उपरान्त ही अनुबन्ध किया जायेगा एवं इन कार्यो की तकनीकी स्वीकृति शासन से प्राप्त होंने के उपरान्त ही अनुबन्ध किया जायेगा।

नोट :– 01– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति तक प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जायेगा और निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगे रहने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

02– किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिये अनर्ह था या सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।

03– निविदादाता को समस्त प्रपत्र कार्यालय में जमा करने होगें। ई–टेन्डर के सम्बन्ध में शासन से यदि अन्य कोई निर्णय लिये जाते है तो ठेकेदार को मान्य होगें।

04– शासनादेश सं0 522/23–12–2012–2आडिट/08टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से **Below** देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

अ– 10 % **Below** तक दर पर 0.50 % प्रति 1.00 % कम(**Below**) दर के लिए ।

ब– 10 % से अधिक **Below** तक दर पर 1.00 % प्रति कम(**Below**) दर के लिए।

05– कार्य प्रारम्भ की तिथि से पूर्व श्रम विभाग में कार्य एवं श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

06– लोक निर्माण विभाग के नवीनतम Specification एवं SOR के अनुरूप ठेकेदार को कार्य करना होगा।

07– निर्माण निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्य की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मो से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नही होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष/सक्षम अधिकारी का निर्णय अन्तिम व यन्धनकारी होगा।

08– निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य तथा उनके सभी देयकों से निम्नानुसार सभी कर जैसे जी0एस0टी0, आयकर, लेबर सैस आदि जो समय –समय पर केन्द्र/राज्य सरकार से निर्धारित किया जाता है, की कटौती की जायेगी।

09– यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।

10– मा0 अध्यक्ष /सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नही होगा।

11– कार्य के पूर्ण होने पर ठेकेदार को सम्बन्धित विभाग को संतोषजनक स्थिति में कार्य के हस्तानान्तरित कराने का कार्य संबधित ठेकेदार/फर्म को होगा।

12– सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

13– कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से लिखित में कार्यालय को अवगत कराना होगा।

14– कार्य की अनुमानित दरों में जी0एस0टी0, राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा देय अन्य कोई कर सम्मिलित नहीं है उक्त कर ठेकेदार को अलग से नियमानुसार देय होगें और उनकी नियमानुसार कटौती की जायेगी।

15– प्रत्येक निर्माण 50 प्रतिशत पूर्ण होने पर जांच /टैस्ट कराये जायेगें । कार्य की संतोषजनक स्थिति की रिर्पोट आने पर ही अभियन्ता द्वारा आगे के कार्य किये जाने का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य पर गुणवत्ता परीक्षण कराये जायेगें जिसमें होने वाले व्यय को ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

16– एक ठेकेदार द्वारा एक सौल्वेन्सी सर्टिफिकेट का एक ही विभाग में प्रयोग किया जायेगा कुछ सौल्वेन्सी सर्टिफिकेट को बैंक व आयकर विभाग से भी सत्यापित कराया जायेगा और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति /सोल्वेन्सी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने पर उनके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

17– लेपन कार्यो में बिटुमिन आपूर्ति की व्यवस्था स्वंय ठेकेदार द्वारा रिफाइनरी से की जायेगी और उसका बिल प्रपत्र (सी0आर0सी0) कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा उसके उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	2% धरोहर राशि (हजार में)	निविदा मूल्य 12% जी0एस0टी0 सहित रू0 में	समयावधि माह में
179	किनानगर में पंचगांव पटटी अमरसिंह मार्ग से किनानगर पंचगांवपटटी सांवल मार्ग तक लेपन कार्य	1540364	30807	1120	03
180	सिधावली में रणवीर के मकान से शमशानघाट की ओर नाला निर्माण कार्य	1390061	27801	1120	03
181	ग्राम उपलेहडा से महरौली की ओर मिटटी खंडजा कार्य	1697892	33958	1120	03
182	अक्खेपुर में माता माई मन्दिर से सतपाल के खेत की ओर खंडन्जा कार्य	1921105	38422	1120	03
183	ग्राम जटपुरा में कावंड मार्ग की ओर सम्पर्क मार्ग पर इन्टरलोकिग	1097020	21940	1120	03

DIO.NIC 945

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।
22/6/18

184	पोडकलां से बटावली की ओर लेपन कार्य	1972486	39450	1120	03
185	कल्याणपुर पुरा महादेव सम्पर्क मार्ग पर रामकुमार के खेत से राजेन्द्र के खेत की ओर मिटटी खंडजा	1345139	26903	1120	03
186	खडखडी में जाहरवीर की माढी से कौल–बधौली सम्पर्क मार्ग पर खंडजा	1697892	33958	1120	03
187	बढला कैथवाडा से नंगला कबूलपुर को जोडने वाले रास्ते पर लेपन	1529666	30593	1120	03
188	ग्राम हाजीपुर मे मुख्य मार्ग से जलालपुर की ओर लेपन	1326896	26538	1120	05
189	चरला से बातनौर सम्पर्क मार्ग पर सतवीर की टयूबवैल से चेतराम की टयूबवैल की ओर मिटटी खंडजा	1848939	36979	1120	03
190	पांची में बस स्टैण्ड से फकरपुर कबट्टा तक मिटटी खंडजा	2194953	43899	1120	03
191	नंगला आर्डर तक कुशावली सम्पर्क मार्ग पर अशोक के खेत से विक्रम के खेत की ओर मिटटी खंडजा	1148700	22974	1120	03
192	गगोल से चन्दसारा रेलवे स्टेशन की ओर लेपन	1327120	26542	1120	05
193	मवीमीरा में चौराहे से कमेला मार्ग तक खंडजा	1078282	21566	1120	03
194	ग्राम गगोल में चेतन के खेत से कविन्द्र के खेत की ओर खंडजा	1027410	20548	1120	03
195	रसूलपुर धोलडी में एहसान कुरेशी के मकान से सरताज एडवोकेट के खेत की ओर सी0सी0	1546654	30933	1120	03
196	रजपुरा में दुजेन्द्र टयूबवैल से आदेश वकील की टयूबवैल की ओर मिटटी खंडजा	1339525	26791	1120	03
197	इटायरा में ताराचन्द के खेत से कलवा के खेत की ओर मिटटी खंडन्जा	1245070	24901	672	03
198	खीमीपुरा में मेन रोड से नौराज सिंह के मकान तक इन्टरलोकिग	1065584	21312	1120	03

अभियन्ता
जिला पंचायत, मेरठ

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

पत्रांक– **5844** /जि0पं0 मेरठ/2017–2018 दिनांकः– 22 जून, 2018

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, मेरठ।
2. मा0 जिला जज, मा0 जिलाधिकारी, मा0 मुख्य विकास अधिकारी, समस्त विकास खण्ड जनपद मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतू।
3. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) मेरठ को इस आश्य से प्रेषित कि शासनादेशानुसार बैबसाईट http//meerut.nic/in पर निविदा फार्म सहित निविदा सम्बधित समस्त सूचना अपलोड कराने का अनुरोध है।
4. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, मेरठ को सूचनार्थ।
5. जिला पंचायत मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।